(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खंड- 4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 128 **नई दिल्ली**, 28 अप्रैल, 2010

<u>अधिसूचना</u>

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 48,49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतत्द्वारा, कांडला पत्तन न्यास के दरमान की वैधता को, संलग्न आदेश के अनुसार विस्तार प्रदान करता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष

<u>महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण</u>

<u>प्रकरण सं. टीएएमपी/67/2005-केपीटी</u>

कांडला पत्तन न्यास **-------** **आवेदक**

<u>आ दे श</u>
(मार्च 2010 के 31 वें दिन पारित)

यह प्रकरण, कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) के प्रचलित दरमान की वैधता के विस्तार से संबंधित है ।

2. केपीटी का वर्तमान दरमान इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार आदेश सं. टीएएमपी / 67 / 2005-केपीटी दिनांक 15 मई 2007 के माध्यम से अनुमोदित किया गया था। आदेश ने दरमान को 31 मार्च 2010 तक वैधता प्रदान की थी।

3. दरमान के संशोधन के लिए केपीटी द्वारा दाखिल किया गया प्रस्ताव परामर्श के लिए लिया गया है। प्रस्ताव की प्रारंभिक जांच पड़ताल पर केपीटी से मांगी गई अतिरिक्त सूचना / स्पष्टीकरण अभी आनी बाकी है इसलिए, इस प्रकरण को इस प्राधिकरण द्वारा फाइनल विचार विमर्श के लिए परिपक्व होने में अभी कुछ समय लगेगा। इस बीच केपीटी ने दिनांक 16 मार्च 2010 के अपने पत्र द्वारा इस प्राधिकरण से वर्तमान दरमान की वैधता, इसके दरमान के सामान्य संशोधन के लिए पत्तन द्वारा दाखिल प्रस्ताव के निपटान तक विस्तारित करने का अनुरोध किया है।

4. चूंकि वर्तमान दरमान की वैधता 31 मार्च 2010 को समाप्त हो रही है और प्रकरण के फाइनल होने में लगने वाले समय को स्वीकार करते हुए यह प्राधिकरण केपीटी के वर्तमान दरमान की वैधता 30 सितंबर 2010 या संशोधित दरमान के क्रियान्वयन की प्रभावी तिथि तक, इनमें से जो भी पहले हो, विस्तारित करता है।

5. 1 अप्रैल 2010 के बाद वाली अवधि में ग्राह्य लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक यदि कोई अतिरिक्त अधिशेष उभरता है तो उसकी निष्पादनता की समीक्षा के समय वह अतिरिक्त अधिशेष निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में समायोजित किया जाएगा।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष